

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा जिला झालावाड़

मिसल नम्बर	किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तारीख दाखिल द.	तादाद किता
------------	--------------	-------------	-------------	----------------	------------

25/11/21 (169) कावा 92/14  
 15/12/21

उनवान लक्ष्मी कान्हा लाल (पुत्र) के हरि  
 बनाम 7 कान्हा लाल के हरि पिन 10  
 धारा 53, 188, 289 पिन  
 वकील वादी श्री. M. K. Jain 'वकील प्रतिवादी श्री.....

पार्ट	किता	कोर्ट फीस
.....	.....	.....
अ		
ब		
स		
द		
योग :-		

हस्ताक्षर शीडर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

वाद वादी वकील श्री..... M.K. Jain ..... द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

- 1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है ।
- 2. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है ।
- 3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
- 4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
- 5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की है ।
- 6. पर्याप्त हैतुक दर्शाया गया है ।
- 7. वाद पात्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

*AM*  
हस्ताक्षर लिपिक

२२/११/१५ वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे ।  
पत्रावली वाले जवाब दिनांक..... २२/११/१५ ..... को पेश हो ।

**उपखण्ड अधिकारी**

२२/११/१५ पत्रावली पेश हुई। वकील कापी उपर।  
प्रतिकदीगण कावखुड प्रमाण अनु. खर्च  
के उनके विरुद्ध पत्र पेशीय कागजवाच  
की जाती थी। वक्त लास्य का रिकार्ड  
२२/११/१५ से पेश करवा।

२२/११/१५	मो डिमा	२२/११/१५	से पेश करवा
२२/११/१५	मो डिमा	२०/११/१५	से पेश करवा
२२/११/१५	मो डिमा	१७/११/१५	से पेश करवा
२२/११/१५	मो डिमा	१५/११/१५	से पेश करवा

1/अपील  
उपखण्ड  
अकलेरा

गोपनीय कारवाही के उक्त प्रसिद्धि जारी न करी के  
भाषण प्रस्तावित गरी आपसुत अनुपनीयतु धोरु  
के कारवाही ठाणु हाजरी न ठाणु फेवरी से  
लगायत ही जारी है। कारवाही का तर्क/तयरी  
जाविलु इफ्तार करि कथर के उक्त है

1/अपील

उपखण्ड अधिकारी  
अकलेरा (झालावाड़)